

कार्यालय संयुक्त संचालक कृषि, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र./अ-2-स/ग्रा.कृ.वि.अ./सीधी भर्ती/2011-12/ 2973

बिलासपुर दिनांक 08/3/13

--: आदेश :-

छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक/1151/1184/2012/14-1 दिनांक 22.08.2012 एवं संचालनालय सैनिक कल्याण बोर्ड, रायपुर के पत्र क्रमांक/214/सै.क.बो./रो./2012/808 दिनांक 24.09.2012 तथा संचालनालय कृषि, छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक/अ-ब-1/स्था./ग्राकृविआ/ 2011-12/550 दिनांक 28.09.2012 तथा छ0ग0 शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्र./1701/कार्य/विवि/ 2012/14-1 दि. 17.10.2012 के द्वारा शेष बचे पदों को काउंसलिंग के माध्यम से भरने हेतु निर्देशित किया गया, के परिपालन में दि.26.11.12 को काउंसलिंग का आयोजन कर काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर एवं संचालनालय कृषि, छ0ग0 रायपुर के पत्र क्र/अ-1-ब/स्था./ग्राकृविआ/2-2011/II/791-792 रायपुर, दिनांक 15.02.2013 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार संभागीय चयन समिति द्वारा चयनित संलग्न सूची अनुसार अभ्यर्थियों को संभाग के अधीन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर वेतनमान रुपये 5200-20200/- ग्रेड पे 2400/- में अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में उनके नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है।

नियुक्ति की शर्त :-

1. यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) है तथा जाति/जनजाति प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अधीन है। सत्यापन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसा भी मामला हो असत्य अथवा झूठा पाए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है, साथ ही बिना कोई कारण बताए संबंधित की सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी।
2. नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर कार्य पर उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा यह आदेश उक्त अवधि के पश्चात् स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
3. संबंधित जिले के प्रमुख चिकित्सा (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) से शारीरिक क्षमता का प्रमाण-पत्र सेवा में उपस्थित होते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. संबंधित का पुलिस चरित्र सत्यापन उपस्थिति के पश्चात् कराया जावेगा। पुलिस चरित्र सत्यापन में अनुपयुक्त पाये जाने की स्थिति में संबंधित की सेवा बिना पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। उपस्थिति देते समय संबंधित को तद्विषयक Undertaking देना होगा।
5. संबंधित की सेवायें किसी भी समय एक माह की लिखित सूचना अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यदि संबंधित व्यक्ति स्वयं सेवामुक्त होना चाहे तो उसको तीन माह पूर्व नोटिस अथवा तीन माह का वेतन एवं अन्य भत्तों के साथ एक मुश्त राशि जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त राशि जमा न करने पर धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया राशि की भांति वसूल की जावेगी।
6. संबंधित को भारतीय गणतंत्र के प्रति निष्ठा होने संबंधी लिखित शपथ ग्रहण करनी होगी।
7. संबंधित के कार्य पर उपस्थित होने के समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जाति सत्यापन प्रमाण पत्र तथा छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, छ.ग. राज्य में रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन की मूल प्रति संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं उपरोक्त अभिलेखों की राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित प्रति संबंधित कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा। जिन अभ्यर्थियों की पदस्थापना वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के अधीन की गई है, वे अपनी उपस्थिति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय कृषि अधिकारी को देंगे। अनुविभागीय कृषि अधिकारी मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन पश्चात् ही उपस्थिति मान्य करेंगे। जिन अभ्यर्थियों की पदस्थापना उप संचालक कृषि कार्यालय एवं शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों में की गई है, वे अपनी

08/03/2013

उपस्थिति संबंधित जिले के उप संचालक कृषि कार्यालय में देंगे । उप संचालक कृषि संबंधित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों की जांच कर उनकी उपस्थिति मान्य करेंगे ।

8. यदि अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर उनका चयन हो गया है, तो उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
9. छ.ग. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक/980/सी-761/वि./नि./चार/04 रायपुर दिनांक 27.10.2004 तथा छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग की अधिसूचना क्र./977 /सी-761 /वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुसार अंशदायी आधारित पेंशन योजना लागू होगी।

टीप :- नियुक्ति आदेश में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

संलग्न - क्रमांक 01 से 22 तक।

(एस. सी. पदम)

संयुक्त संचालक कृषि,
बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठां. क्र./अ-2-स/ग्रा.कृ.वि.अ./सीधी भर्ती/2011-12/ 2974 बिलासपुर दिनांक 08/03/13
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय कृषि मंत्री जी, छ.ग. शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
2. स्टॉफ आफिसर, प्रमुख सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग. शासन कृषि विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
3. संचालक कृषि, संचालनालय कृषि, छ.ग. रायपुर।
4. संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग. रायपुर।
5. संभागायुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर छ.गं।
6. कलेक्टर, बिलासपुर/मुंगेली/जांजगीर-चांपा/कोरबा/रायगढ़।
7. उप संचालक कृषि, बिलासपुर/मुंगेली/जांजगीर-चांपा/कोरबा/रायगढ़।
8. जिला कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी.....द्वारा अनु. 7
9. अनुविभागीय कृषि अधिकारी, जांजगीर/सक्ती/कटघोरा/रायगढ़/सारंगढ़/धरमजयगढ़
10. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, वि.खं. नवागढ़/जैजैपुर/डभरा/बम्हनीडीह/मालखरौदा/पोड़ीउपरोड़ा/सारंगढ़
/खरसियां/तमनार/पुसौर/घरघोड़ा
11. प्रक्षेत्र प्रबंधक, शासकीय कृषि प्रक्षेत्र, बेहरामार, जिला रायगढ़
12. संबंधित श्री.....
.....
.....
.....
.....
13. आदेश नस्ती।
14. सूचना पटल।

संयुक्त संचालक कृषि,

बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की सीधी भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची

क्र.	आवेदक का नाम	पिता का नाम	संवर्ग	पदस्थापना स्थल	विकासखंड	अनुभाग	जिला
1	2	3	4	4	5	6	7
1	श्री रामकुमार साहू	श्री सालिक राम साहू	अना.	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, सारंगढ़ के अधीन	सारंगढ़	सारंगढ़	रायगढ़
2	श्री गोवर्धन कुमार वर्मा	श्री अग्राहिज वर्मा	अना.	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, नवांगढ़ के अधीन	नवांगढ़	जांजगीर	जांजगीर-चांपा
3	श्री दिलीप कुमार साहू	श्री रिखी राम साहू	अना.	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, नवांगढ़ के अधीन	नवांगढ़	जांजगीर	जांजगीर-चांपा
4	श्री गीता प्रसाद राजवाड़े	श्री फलचंद्र राजवाड़े	अना.	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, जैजैपुर के अधीन	जैजैपुर	जांजगीर	जांजगीर-चांपा
5	श्री यशपाल कुमार वर्मा	श्री झाडूराम वर्मा	अना.	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, जैजैपुर के अधीन	जैजैपुर	जांजगीर	जांजगीर-चांपा
6	श्री पुलस्य कुमार	श्री गणपत लाल	अना.	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, डभरा के अधीन	डभरा	सक्ती	जांजगीर-चांपा
7	श्री हनीष वर्मा	श्री एन.आर.वर्मा	अना.	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, डभरा के अधीन	डभरा	सक्ती	जांजगीर-चांपा
8	श्री गौरीशंकर पटेल	श्री लीलाम्बर पटेल	अना.	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, पुसौर के अधीन	पुसौर	सारंगढ़	रायगढ़
9	श्री हितेश कुमार साहू	श्री धनपत राम साहू	अना.	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, डभरा के अधीन	डभरा	सक्ती	जांजगीर-चांपा
10	श्री हीरालाल	श्री भीखुराम साहू	अना.	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, नवांगढ़ के अधीन	नवांगढ़	जांजगीर	जांजगीर-चांपा
11	श्री तारेन्द्र कुमार साहू	श्री चोखे लाल साहू	अना.	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, नवांगढ़ के अधीन	नवांगढ़	जांजगीर	जांजगीर-चांपा
12	श्री हरीश कुमार	श्री बंशी लाल सिन्हा	अना.	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, जैजैपुर के अधीन	जैजैपुर	जांजगीर	जांजगीर-चांपा
13	श्री मोहित कुमार वर्मा	श्री चंद्रकांत वर्मा	अना.	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, डभरा के अधीन	डभरा	सक्ती	जांजगीर-चांपा
14	श्री राजेन्द्र प्रसाद साहू	श्री राधेकृष्ण साहू	अ.पि.व.	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, पोड़ीउपरोड़ा के अधीन	पोड़ीउपरोड़ा	कटघोरा	कोरबा
15	श्री तोलेन्द्र प्रकाश कन्नौजे	श्री स्व. गोरेलाल कन्नौजे	अ.पि.व.	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, पोड़ीउपरोड़ा के अधीन	पोड़ीउपरोड़ा	कटघोरा	कोरबा
16	श्री थानेश्वर कुमार धुरंधर	श्री रूपचंद्र धुरंधर	अ.पि.व.	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, खरसियां के अधीन	खरसियां	रायगढ़	रायगढ़
17	श्री धर्मेश कुमार	श्री किशोर कुमार	अ.पि.व.	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, घरघोड़ा के अधीन	घरघोड़ा	धरमजयगढ़	रायगढ़
18	श्री वरुण विकास सोनवानी	श्री कंचन कुमार सोनवानी	अ.जा.	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बम्हनीडीह के अधीन	बम्हनीडीह	जांजगीर	जांजगीर-चांपा
19	श्री गोपाल पटेल	श्री डोल कुमार पटेल	अ.पि.व.	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बरमकेला के अधीन	बरमकेला	सारंगढ़	रायगढ़
20	श्री गौरत्न कुमार दामले	श्री जयमल	अ.जा.	प्रक्षेत्र प्रबंधक, शासकीय कृषि प्रक्षेत्र, बेहरामार	उप संचालक कृषि, रायगढ़		रायगढ़
21	श्री उमाशंकर सूर्यवंशी	श्री कपिल राम सूर्यवंशी	अ.जा.	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, तमनार के अधीन	तमनार	रायगढ़	रायगढ़
22	श्री जितेन्द्र कुमार	श्री जे.एल. मेश्राम	अ.जा.	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, मालखरौदा के अधीन	मालखरौदा	सक्ती	जांजगीर-चांपा

संयुक्त संचालक कृषि,

बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)